मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल दूरभाष क्र. 0755–2550091

सोलहवीं बैठक

मनरेगा अंतर्गत वित्त वर्ष 2011–12 में राशि जारी करने संबंधी एप्राईज़ल कमेटी की सोलहवीं बैठक दिनांक 22.02.2012 का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 22.02.2012 को भिण्ड, मुरैना, सीधी, उज्जैन एवं मंदसौर के अधिकारी उपस्थित हुये। अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर है। एप्राईज़ल कमेटी के सदस्यों में मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 9334 NREGSMP वित्त एवं लेखा/2011 दिनांक 24.09.11 एवं 9482 दिनांक 29.09.11 में अंकित सदस्य उपस्थित हुए। परिशिष्ट 02।

आदेश क्र. 11549/NR-4 भोपाल दिनांक 12/12/2011 जिलों को निर्देश दिये गये कि प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अनिवार्य रूप से निर्देशित क्रम में ही संलग्नक लगाऐं एवं सलग्नकों की पेंजिंग एवं Indexing भी निम्नानुसार करें। यह भी सुनिश्चित किया जाये की प्रस्ताव एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों पर जिला कार्यक्रम समन्वयक अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं लेखाधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से हों –

संबंधित दस्तावेज	पृष्ठ क्र. ..... से ..... तक

निम्न क्रमवार जिलों के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत राशि मांग के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

जिला – भिण्ड

- एप्राईजल समिति हेतु सिंचाई हेतु कपिल धारा कूपों को पूरा करने एवं नवीन कार्य स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- न्यायलयीन प्रकरणों को शीघ्र ही निराकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
- कार्य पूर्णता का प्रतिशत कम होने के कारण एप्राईजल समिति द्वारा अप्रसन्नता दर्ज की गई एवं कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाकर इन्द्राज कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
- जिला स्तर पर समग्र रूप से 437 लाख रूपये अनुपयोगी ग्राम पंचायतों में पड़ा हुआ हुआ है इसे 15 दिवस की समय सीमा में वापिस लिया जाकर मुख्यालय में अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
- विशेष परिस्थितियों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कम होने के कारण योजना का काम प्रभावित होने से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कलेक्टर दर पर रखने हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक को अधिकार प्रत्यायोजित किये जाने है, इस हेतु स्थापना शाखा द्वारा पृथक से निर्देश किये जाने है।
- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर राशि रूपये 2.00 करोड़ की अनुसंशा की गई है ।

जिला – मुरैना

- अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिला स्तर पर कई पद रिक्त है जिन्हें शीघ्र ही भरना अतिआवश्यक है जिससे कि योजना का कार्य बाधित होता है।
- कार्य पूर्णता का प्रतिशत कम होने के कारण एप्राईजल समिति द्वारा अप्रसन्नता दर्ज की गई एवं कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाकर इन्द्राज कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर राशि रूपये 20.00 करोड़ की अनुसंशा की गई है ।
-

जिला – सीधी

- अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान वर्षों में कम व्यय होने का कारण मुख्य रूप से दो जिले हो जाने से है।
- कार्य पूर्णता का प्रतिशत कम होने के कारण एप्राईजल समिति द्वारा अप्रसन्नता दर्ज की गई एवं कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाकर इन्द्राज कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
- अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एमआईएस में कम व्यय परिलक्षित होने का मुख्य कारण एमआईएस में डाटा मिशिंग है जिसकी कार्यवाही एमआईएस शाखा द्वारा मुख्यालय स्तर पर की जायेगी।
- जिला सीधी एवं सिंगरोली में आर.ई.एस. के अन्तर्गत कुछ राशियों का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस हेतु निर्देशित किया गया कि जिला सिंगरोली से मिलान किया जाकर 15 दिवस में अवगत कराये ।
- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर राशि रूपये 20.00 करोड़ की अनुसंशा की गई है ।

जिला – उज्जैन

- अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष में जिला स्तर पर समग्र रूप से प्रारंभिक शेष 12.00 करोड़ रखा जायेगा।
- कार्य पूर्णता का प्रतिशत कम होने के कारण एप्राईजल समिति द्वारा अप्रसन्नता दर्ज की गई एवं कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाकर इन्द्राज कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर राशि रूपये 30.00 करोड़ की अनुसंशा की गई है किन्तु जिले को वर्तमान में राशि रूपये 20.00 करोड़ जारी किये जा रहे है एवं उक्त राशि को जोड़कर वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिले का एम. आई.एस. 60 प्रतिशत हो जाता है तो राशि रूपये 10.00 ओर जारी किये जा सकेगें।

जिला – मंदसौर

- कार्य पूर्णता का प्रतिशत कम होने के कारण एप्राईजल समिति द्वारा अप्रसन्नता दर्ज की गई एवं कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाकर इन्द्राज कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर राशि रूपये 6.00 करोड़ की अनुसंशा की गई है।

इसी के साथ निम्न निर्देश भी दिये जाते हैं –

1. आयुक्त महोद्य मनरेगा द्वारा राशि मांगने के ऑन लाईन रजिस्ट्रीकरण साफ्ट्वेयर में सदस्यों से चर्चा के उपरांत सीएम मॉनिट ''ए'', पब्लिक ग्रेवान्सेस का अंकन शिकायत संबंधी टेम्पलेट में, पुरानी एप्राईजल कमेटी का पालन प्रतिवेदन जिले द्वारा भेजा गया, ऑडिट एवं फायनेंशिलय मैनेजमेंट के साफ्ट्वेयर को अद्यतन किया जाना का उत्तर हॉ या ना में अंकित करने संबंधी डिजाईन हेतु सिस्टम एनालिस्ट को निर्देशित किया सिस्टम एनालिस्ट यह कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं अवगत करायेगें।
2. आंतरिक लेखा परीक्षण संबंधी परिषद् के पत्र ..... की जानकारी हॉ या ना में
3. जिले के प्रशासनिक व्यय के संबंध में व्यय के सही वर्गीकरण हेतु एवं सही MIS हेतु निर्देशित किया गया।
4. एमआईएस में गति लाई जाये।
5. वित्त वर्ष 2010–11 की सीए ऑडिट रिपोर्ट के प्रारंभिक शेष को तत्काल MIS में अंकित किया जाये।
6. SQM एवं ऑडिट की कण्डिकाओं का पालन जिले तत्काल सुनिश्चित कर परिषद को प्रेषित करें।
7. संकल्प संबंधित कोई भी बिन्दु जिले में लंबित न रखा जाऐ।
8. मानव दिवस में गिरावट न हो एवं योजना संचालन सफलता पूर्वक हो। इस गिरावट के कारणों की सूक्ष्मता से वर्यवेक्षण करें।
9. 60 : 40 का अनुपात का संधारण हो।
10. औसत मजदूरी भुगतान की स्थिति पर नियंत्रण रखें।
11. ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यय पर नियमानुसार परीक्षण करें। कार्यों के कंटिनजेंसी व्यय का सही उपयोग हो इस हेतु ध्यान आकर्षित किया गया। ग्राम पंचायतों को वर्तमान में प्रशासनिक व्यय अनुमत्य नहीं है एवं जिन मदों में अनुमत्य है वह जनपद के प्रशासनिक व्यय पर ही समायोजित होगा।

12. ऑडिट एवं फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट के सॉफ्टवेयर में समस्त आकड़ें तत्काल अंकित किए जाऐं। इसी प्रकार मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के सॉफ्टवेयर में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आकड़े अंकित करना सुनिश्चित करें।

13. भविष्य में जिले अपनी मांग प्रस्ताव भेजने समय मासिक लेबर बजट के विरूद्ध कितना व्यय हुआ एवं जो प्रस्ताव है वह किस प्रकार मासिक लेबर बजट से सुसंगत है इस को भी अंकित कर स्पष्ट रूप से राशि का प्रस्ताव रखा करें।

14. जिलों को यह भी निर्देशित किया जाता है जिन ग्राम पंचायतों में अत्याधिक वित्तीय संव्यवहार हो रहें हैं उनके संबंध में सूक्ष्म अनुश्रवण किया जाऐ।

15. यदि किसी जिले को लेबर बजट में संशोधन कराना है तो तत्काल ही परिषद् में जानकारी भेंजे।

16. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के साफ्ट्वेयर को अद्यतन करने हेतु वे समस्त कार्यपालन यंत्रियों को समय–सीमा में कार्य करने हेतु निर्देश जारी कर रहें है।

17. 12 वें एवं 13 वें वित्त आयोग के उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं विधानसभा प्रश्न आश्वासन आदि लंबित न रहें। इस हेतु जिलों से अनुरोध किया।

18. अपूर्ण कार्यों को तत्काल पूर्ण कराया जाये।

19. मजदूरी भुगतान में विलम्ब न हो एवं MIS से मजदूरी भुगतान में विलम्ब का पत्रक निकालकर जिले उसके उपर नियमति समीक्षा करें।

20. आंतरिक लेखा परीक्षण संबंधी कार्यवाही को तत्काल संपादित करें एवं इस संबंध में मुख्यालय द्वारा चाही गई जानकारी तत्काल भेजे।

आयुक्त मनरेगा एवं अध्यक्ष एप्राइज़ल कमेटी द्वारा अनुमोदित।

(डॉ0 राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एवं सदस्य सचिव एप्राइज़ल कमेटी

पृ.क्रमांक / 2238 /NR-4/MGNREGS-MP /12 भोपाल, दिनांक 29 / 02 / 12

प्रतिलिपि –

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त पंचायती राज संचालनालय, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5. मुख्य अभियंता मनरेगा मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संयुक्त आयुक्त समन्वय विकास आयुक्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. संयुक्त आयुक्त मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा) मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10. संचालक, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11. कार्यपालन यंत्री एसक्यूएम मनरेगा परिषद् भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12. सिस्टम एनालिस्ट मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. सहायक प्रबंधक आईटी परिषद् (मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना साफ्टवेयर) मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुं

14. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला सीहोर, इन्दौर एवं खरगौन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर, इन्दौर एवं खरगौन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एवं सदस्य सचिव एप्राइज़ल कमेटी

परिशिष्ट – 02

उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम	पद	उपस्थित दिनांक
1	श्री नीरज मण्डलोई	आयुक्त मनरेगा	13.02.2012
2	श्री प्रभाकान्त कटारे	मुख्य अभियंता	13.02.2012
3	डॉ. राजीव सक्सेना	संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)	13.02.2012
4	श्री विकास मिश्रा	संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)	13.02.2012
5	श्री प्रद्युम्न शर्मा	संचालक, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, मनरेगा	13.02.2012
6	श्री जे.पी. श्रीवास्तव	कार्यपालन यंत्री मनरेगा	13.02.2012
7	श्री उवेश अहमद	सिस्टम एनालिस्ट	13.02.2012

परिशिष्ट – 01

उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम	पद	उपस्थित दिनांक
1	श्री बी.एस. जामोद	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सीहोर	13.02.2012
2	श्री गोपाल डाड	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला इन्दौर	13.02.2012
3	श्री पी.सी. शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला खरगौन	13.02.2012